समाहरणालय, नवादा।

(जिला प्रोग्राम कार्यालय)

(आई0सी0डी0एस0)

विज्ञापन संख्या–01/2025

निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना के पत्रांक–4359, दिनांक–26.07.2024 के आलोक में सरकार के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1846 दिनांक–10.06.2010 एवं सशोधित पत्रांक–5994, दिनांक–31.12.2018 के निदेशानुसार समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृति आदेश संख्या–01/2017, विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक–2056, दिनांक–15.06.2017 एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना के पत्रांक–162, दिनांक–04.02.2023 के आलोक में नवादा जिला अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत स्वीकृत पद के विरूद्ध ऑगनबाड़ी सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कुल– 35 रिक्त पदों पर नियोजन किया जाना है। संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

नवादा जिला के इच्छुक ऑगनबाड़ी सेविका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते से), आवासीय प्रमाण पत्र (अनुमंडल स्तर से निर्गत) एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुऐ विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx है, जिस पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकेंगी एवं इसकी प्रति निबंधित डाक द्वारा जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0, विकास भवन, नवादा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन किये जाने की प्रक्रिया (User Guideline) के रूप में भी नवादा जिले के NIC वेबसाईट https://nawada.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

सामान्य प्रसाशन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–143, दिनांक–10.09.2024 के अनुपालन के आधार पर तैयार आदर्श आरक्षण रोस्टर आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–1333, दिनांक– 25.02.2025 के द्वारा स्वीकृति के उपरांत निर्गत आरक्षण के नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। रिक्ति की विवरणी कोटिवार निम्न हैः–

क्रम संख्या	कोटि	पदों की संख्या
1	अनुसूचित जाति	06
2	अनुसूचित जनजाति	01
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	06
4	पिछड़ा वर्ग	04
5	पिछड़ा वर्ग की महिला	01
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03
7	अनारक्षित	14
	कुल	**35**

नोट :- **1. दिव्यंगता (वधिर/श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यंगता) से ग्रस्त उम्मीवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 01 पद देय होगी।**
2. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी को प्रस्तुत समव्यवहार में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 01 पद देय होगी।

1. अनिवार्य अर्हताऐं :–

(क.) न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उतीर्ण।
(ख.) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल हों।
(ग.) अभ्यर्थी केवल नवादा जिला अंतर्गत किसी परियोजना/प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हों।
(घ) अभ्यर्थी भारत के नागरिक हों।
(ड.) अभ्यर्थी नवादा जिला का स्थायी निवासी हो इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।
(च) जिलान्तर्गत ऑगनबाड़ी सेविका पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र प्राप्त हो। इस हेतु अंतिम तिथि की गणना प्रथम जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।
(छ) विभागीय पत्रांक–162, दिनांक–04.02.2023 के आलोक में न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम् उम्र सीमा में 11 वर्ष की छुट दी जायेगी।

Letter – 15.

2. **वांछनीय सूचनाएँ :–**

(क) शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जायेगी।

(ख) शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर/स्नातक/स्नोकोत्तर) में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग–अलग क्रमशः 10 अंक/5 अंक/3 अंक बोनस अतिरिक्त दिये जायेंगे।

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाऐंगे। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्त्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01–01 बोनस अंक दिया जायेगा। (यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया है।)

(घ) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी।

(ङ) यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जाएगा।

(च) अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त आँगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।

(छ) अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या– 411, दिनांक–16.01.2025 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 27,500/– प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रूपया प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/– प्रतिमाह) निर्धारित है।

3. **उम्र सीमा :–**

विज्ञापन के वर्ष की पहली जनवरी 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष, (चयन के वर्ष पहली जनवरी–2025 के गणना के अनुसार) एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छुट दी जायेगी।

4. **शरीरिक स्वास्थ्यता** :– आवेदिकाओं को शरीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के उपस्थापन के पश्चात् जायेगी।

5. आवेदिका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते से) एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

6. अभ्यर्थी को इस आशय की अंडरटेकिंग/शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

7. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी और अनुबंध अवधि की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक प्रदत कार्य एवं पद की आवश्यकता के आलोक में आगे की अवधि विस्तार किया जायेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

8. विभागीय संकल्प संख्या–1846 दिनांक–10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक–5994 दिनांक–31.12.2018 एवं समय–समय पर सरकार/विभाग से निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

Letter – 15.